भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 574835

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 574836

सत्य-प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

संशोधित–स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम : श्री नेता जी विद्या विकास समिति ।

117/रजि.-1/209 पाण्डुनगर

2.संस्था का पता : कानपुर नगर ।

3.संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था के उद्देश्य :संस्था के उद्देश्य निम्नवत् होगें ---

1.संस्था का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक ग्रामोद्योग तकनीकी उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2.संस्था का कार्यक्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी, माण्टेसरी तथा शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट आवश्यकता होने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के स्कूल विविध नामों से खोलना एवं उनका संचालन करना तथा पब्लिक स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को खोलना एवं उनका संचालन करना ।

3.सरकार एवं शासन की नीतियों के अनुसार कन्या विद्यालयों कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

4.संस्था के कार्यक्षेत्र में पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

5.संस्था के कार्यक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खेलों शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना । खेलकूद, निबन्ध कला प्रतियोगितायें आयोजित करना मेधावी एवं प्रतिभवान बच्चों/खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना ।

6.छात्र/छात्राओं को बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, प्रोढ़ शिक्ष केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, कालीन बुनाई, केन्द्रों, पेन्टिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, कम्प्यूटर इण्टरनेट की जानकारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों, रेड़ियो, घड़ी, टी.वी. ट्रेनिंग सेण्टरों मोटर वाइडिंग अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना एवं उनका संचालन करना ।

7.संस्था के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला कल्याण निगम, महिला आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना महिला प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना, महिला छात्रावास अनाथ आश्रमों, परित्यक्ता आश्रमों, विधवा पुर्नवास केन्द्रों, बढ़ती हुई वैश्यावृत्ति आदि को रोकना एवं महिला जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना ।

8.संस्था के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को साक्षर बनाना एवं राष्ट्र साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों का संचालन करना तथा बालिका को विभिन्न प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण देना व उन्हें जिला प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु जानकारी देना, प्रशिक्षण देना ।

9.पर्यावरण सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रचार प्रसार करना, वृक्षारोपण कराना, जागरूकता रैली का आयोजन करना एवं मानव व जीव जन्तुओं पर पर्यावरण से होने वाली लाभ हानियों के सम्बन्ध में अवगत् कराना व पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने हेतु कार्य करना ।

शेष पृष्ठ 2 पर

Ravinash Tripathi हरिनारायण मिश्र अशोक कुमार शर्मा भगवती प्रसाद दीक्षित

प्रबन्धक
श्री नेता जी विद्या विकास समिति

डिप्टी रजिस्ट्रार

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

10.प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करना तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण मेड़िकल/हास्पिटल के कूड़े कचड़े से हो वाले प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास करना जन जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु शोध संस्थानों की स्थापना करना सेमीनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना ।

11.कार्यक्षेत्र में गरीब एवं आम जनता के लाभार्थ टीकाकरण, पलसपोलियो कार्यक्रमों, जनसंख्या नियंत्रण प्रचार प्रसार कार्यक्रमों, परिवार नियोजन कार्यकमों, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, एड्स नियन्त्रण एवं जनगरुकता कार्यकमों, नशामुक्ति कार्यकमों ' मद्यपान-निषेध कार्यक्रम ' कुष्ठ रोगी सेवा केन्द्रों, कैंसर रोगी अन्धता निवारण कार्यकमो, नेत्र शिविरों, रक्तदान कार्यकमों,स्वास्थ्य परीक्षण कैम्पों, धर्मार्थ एवं निःशुल्क चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गरीब जनता के स्वास्थ्य लाभ हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यकमों का संचालन करना हैपेटाइटिस बी के टीकाकरण आदि कार्यकमों का संचालन करना एवं बालश्रम को रोकने का प्रयास करना ।

12.ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार एवं शासन के सक्षम अधिकारियों की अनुमति से मेड़िकल कालेज खोलना एवं उनका संचालन करना तथा इंजीनियरंग शिक्षा हेतु संस्थायें खोलना एवं उनका संचालन सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के अनुसार नियमानुसार करना । कम्प्यूटर हार्डवेयर कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कम्प्यूटर डाटा फिलिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना ।

13.वृद्धा आश्रमों, अनाथ आश्रमों, आदि की स्थापना करना तथा वृद्धजनों के लिए समाचार पत्र पत्रिकायें उन्हें भोजन वस्त्र दवायें आदि निःशुल्क दिलाने का प्रयास करना तथा वृद्धावस्था पेंशन दिलाने हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन करना ।

14.समाज के गरीब लड़के लड़कियों की शादी विवाहों में सहयोग करना तथा उपयोग होने वाले सामान को निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

15.विकलांगों को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देना कृत्रिम अंग उपकरणों को दिलाना, मूक बधिर अन्य विद्यालयों की स्थापना करना उन्हें संगीत, गायन, वादन, खेल व अन्य तकनीकी शिक्षा प्रदान कर विकलांगों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना ।

16.संस्था के कार्यक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड/एफ.सी.आर.ए. के कार्यकमों का संचालन करना तथा बागवानी एवं फल संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, मधु मक्खी पालन, सुआर पालन एग प्रोसेसिंग फूड प्रोसोसिंग सेरियल आयल प्रोसेसिंग आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ।

17.ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा गरीबों के उत्थान हेतु भेड़ बकरी पालन, डेयरी विकास कार्य-कमों गौशाला की स्थापना गौ संरक्षण गौ संवर्द्धन कार्यकमों का संचालन करना ।

18.सामाजिक एवं वानिकी के अर्न्तगत वन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा की जानकारी देना । उनके संरक्षण हेतु वनसम्पदा बढ़ाने हेतु प्रयास करना ।

19.किसानों के उत्थान हेतु कृषि विविधीकरण कार्यकमों का संचालन करना तथा किसानों को उन्नतिशील बीजों,जैव उर्वरकों,कृषि यंत्रों कीटनाशकों आदि की जानकारी देना तथा उन्हें सिंचाई के साधन ट्यूबबेल से सम्बन्धी सरकार की योजनाओं की जानकारी देना किसान विकास गोष्ठियों, सेमीनारों फलों एवं फसल उत्पादन की प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना तथा अच्छे कृषकों को पुरस्कृत करना ।

शेष पृष्ठ 3 पर

Ravivcash Tripathi

प्रबन्धक
श्री नेता जी विद्या विकास समिति
कानपुर-नगर

सत्य-प्रतिलिपि

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Shikha Tripathi

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

20.अनु0जातियां जनजातियां पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों [illegible]
सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना ।
21.गन्दी एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हैण्ड पम्प लगवाना तथा सरकार के स्वजल धारा कार्यक्रमों के अर्न्तगत पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करना गन्दी एवं मलिन बस्तियों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चलाना तथा सर्दी में अलाव जलवाना, भोजन वस्त्रों कम्बल लोई आदि का वितरण करना । गर्मी में पौशाला खुलवाना ।
22.संस्था के कार्यक्षेत्र में गरीबों के विकास हेतु कपार्ट,ड्वाकरा, सूडा सेल, ट्राइसेम, डी.आर.डी.ए, नवार्ड, अवार्ड, डूडा सिडवी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, संचालन करना तथा नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण कार्यकमो एवं केन्द्रों का संचालन करना ।
23.भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करना ।
24.संस्था केक कार्यक्षेत्र में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी आयोग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं अनाज ' दाल चावल चना ' लघु उद्योग आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए केन्द्र खोलना कार्यक्षेत्र में रोजगार हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निदेशालय बैंको से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करके या मनी मार्जिन स्कीम के अर्न्तगत ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना करना, लगाना, चलाना ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन एवं बिकी करना प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय करना ।
25.क्षेत्र में उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में हिस्सा लेना तथा भण्डाकरण केन्द्रों, विपणन केन्द्रों, शोरुमों आदि की स्थापना करना कारीगरों का उत्थान करना
26.बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रम विद्यालयों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना एवं बाल मजदूरी को समाप्त करना ।
27.ऊसर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु प्रयास करना तथा परती भूमि विकास कार्यक्रमों का संचालन करना ।
28.सांसद एवं विधायक निधियों द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में सहभागिता लेना तथा उनके कियान्वयन में सहयोग करना ।
29.समाज सुधार नाटकों, प्रहसन ड्रामा आदि सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
30.दैवीय अपदाओं बाढ़, अग्निकाण्ड, भूकम्प, सूखा व दुर्घटनाओं आदि से पीड़ितों की सहायता करना तथा राहत कार्यो में सहयोग करना ।
31.जनमानस में बढ़ती हुई ईर्ष्या, अन्ध विश्वास, छुआछूत, धर्म भेद, रंगभेद, उँच-नीच आदि समाज विरोधी बुराईयों को समूल नष्ट करने हेतु प्रयास करना जागरूकता पैदा करना ।
32.धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना का समावेश करना ।

शेष पृष्ठ 4 पर

सत्य-प्रतिलिपि

प्रबन्धक
श्री नेता जी विद्या विकास समिति

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

33.दीन दुखियों की सेवा करना तथा संस्था की अपनी पहिचान बनाये रखने हेतु संस्था की स्मारिका पत्रिका निकालना प्रचार प्रसार करना पत्रिकाओं का प्रकाशन करना ।

34.शोध छात्रों के सहयोग हेतु प्रयास करना, शोध संस्थान की स्थापना कर उनका निःशुल्क सहयोग करना ।

35.कला के विकास एवं लोक कलाओं ललित कला के प्रचार प्रसार एवं नाट्कों के मंचन आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम करना तथा लेखकों, साहित्यककारों, समाजसेवकों, बुद्वजीवियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करना ।

36.सी.बी.एस.सी, आई.सी.एस.सी पैटर्न पर आधारित विद्यालय खोलना व संचालन करना ।

37.शासन एवं प्रशासन के सक्षम विभागों की अनुमति से मेड़िकल कालेज, पैरा मेड़िकल कालेज, इन्जीनियंरग कालेज, व्यवसायिक एवं प्रोफेशनल कालेजों-एम0बी0ए0,एम0सी0ए0, आदि की स्थापना संचालन एवं प्रबन्धकार्य नियमानुसार समपादित व सचांलित करना ।

38.सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अर्न्तगत निरक्षर समाज को साक्षार बनाने हेतु कार्य करना । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों का संचालन करना तथा प्रोढ़ शिक्षा एंव अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना ।

39.स्वजलधारा कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्य करना । बरसाती पानी के एकत्र कर जनहित में उपयोगी बनाना तथा बरसाती पानी के एकीकरण हेतु जलाशयों, तालावों को प्राप्त करना, वाटर टैको को निर्माण कराना तथा बरसाती पानी को शोधन कर पीने योग्य बनाना पेयजल समस्या के निराकरण हेतु वोरिंग कराना व हैण्डपाइपों को लगवाना, आवास तथा पेयजल समस्या के निराकरण हेतु इनका निर्माण कराकर पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने का प्रयास करना ।

40.संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु समस्त विभागों अनुभागों द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्राप्त कर उनका संचालन करना ।

41.समग्र स्वच्छता कार्यक्रम चलाना, इस हेतु समाज को जागरूक बनाना और समय पर गोष्ठियों व सेमीनारों का आयोजन करना ।

42.भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अलपसंख्यक समुदायों के हितों में चलायी जा रही कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्राप्त करना व उनको संचालन करना, गौशलायें खोलना, गोवंश की रक्षा करना और गोबर व गौमूत्र का जनहित में उपयोग करना चारागाह प्राप्त करना ।

43.उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्य का संचालन वन विभाग एवं पर्यावरण सम्बन्धी कार्यकम काक संचालन करना औद्योगिक मिशन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का संचालन करना ।

44.कृषि विभाग एवं भूमि सुधार उसर जल संरक्षण सड़क निर्माण मत्स्य पालन औषधीय खेती उत्पादन, कुकरपालन, जैविक खाद्य मधुमक्खी पालन ।

45.लोक निर्माण विभाग द्वारा चलायी गयी योजनाआगें का संचालन करना सड़क नाली, खड़ंजा, पुल हाइवे मेन्टीनेन्स आदि में सहयोग करना।

46.दूर संचार विभाग द्वारा चलायी गयी समस्त योजनाओं का संचालन करना जैसें केविल लगवाना पोल गड़वाना आदि में सहयोग करना।

सत्य-प्रतिलिपि

47.देश विदेश तीर्थ यात्रियों को सामूहिक रुप से अनुदान करे देव दर्शन हेतु तीर्थ यात्रों ले जाना तथा सेमीनार करना ।

Ravinash Tripathi
प्रबन्धक
श्री नेता जी विद्या विकास समिति
कानपुर नगर

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

48.नशा उन्मूलन सुधार कार्यक्रम एवं नशापीड़ितों के उपचार हेतु दवा, नियंत्रण केन्द्र, एड्स पीड़ितों की उपचार एवं सेवा सुरक्षा क्षय रोग, दमा रोग आदि रोगों से पीड़ितों की सेवासुरक्षा एवं जागरूक कार्यक्रम संचालन करना ।
49.कुष्ठ रोग, क्षय मुक्ति केन्द्रों की स्थापना एवं उनके पुर्नवास कार्यक्रमों का संचालन करना ।
50.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलाय द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाओं का संचालन करना तथा रेडकास सोसाइटी के कार्यक्रमों को चलाना ।
51.नशामुक्त केन्द्रों की स्थापना, मद्यनिषेध कार्यक्रमों का संचालन तथा नशा व मद्यपान ड्रग्स सेवन से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान के सम्बन्ध में जन सामान्य के मध्य जागरूकता पैदा करना ।
52.ग्रामीण स्वच्छता एवं सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन करना । स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार कार्यक्रमों का संचालन तथा शुलभ शौचालयों का निर्माण तथा सौर उर्जा केन्द्रों, गोबर गैस प्लांट पी.एस.सी सी.एस.सी की स्थापना व संचालन करना ।
53.युवा कल्याण एवं युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कम्प्यूटर, रेड़ियो, टेलीविजन, फ्रिज, मोबाइल, बी.सी.आर, सी.डी. प्लेयर तथा समस्त इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं की मरम्मत संचालन व निर्माण सम्बन्धी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर उनको स्वावलम्बी बनाना ।
54.महिला समूह का गठन करना महिला कोष व बालकोष की स्थापना कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्बद्ध बनाना नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत चयन किये किये गये पात्र व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना । सांसद व विधायक निधियों से सहायता प्राप्त कर जनहित में कार्यक्रमों का संचालन करना ।
55.किशोर सुधार गृह शाट स्टेम होम की स्थापना व संचालन करना वृद्धाआश्रम, विधवाओं व परित्यक्ता महिलाओं के लिए पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना । गरीब महिलाओं को रोजगारपकर शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ।
56.कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत बन्जर भूमि सुधार कंकरीली व पथरीली भूमि सुधार कर तथा उसर सुधार कर उसे उसमें वनीकरण वृक्षारोपण वन औषधियों,औषधीय पौधशाला तैयार करना तथा अनउपजाऊ भूमि को उपजाउ बनाने योग्य तैयार करना वन संरक्षण एवं वनों के कटाव को रोककर पर्यावरण सुधार के कार्य करना ।
57.समाज को स्वस्थ्य रखने हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व नेत्र शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन करना, एड्स, कैंसर, दमा, यक्षमा, हेपेटाइटिस, सार्स, डेगू पोलियो व अन्य सभी तरह के संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उनके उपचार की निःशुल्क व्यवस्था करना इस हेतु धर्माथ चिकित्सालय एवं सचल चिकित्सालय व मोबाइल डिस्पेन्सरी की स्थापना हेतु एवं संचालन करना ।
58.समाज में राष्ट्रीयता एकता, धर्म निरपेक्षता, सर्वधम् सम्भाव, शांतप्रदायिक सद्भाव राष्ट्रप्रेम एवं वसुधैव कुटुम्बकम् एवं दैवीय आपदा पीड़ितों की सहायता करना ।
59.कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आदिवासियों, वनवासियों, गिरिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवासीय शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनको स्वावलम्बी बनाना ।

प्रबन्धक
श्री नेता जी विद्या विकास समिति
कानपुर-नगर

सत्य-प्रतिलिपि

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP21051324968587X

PUTTAN LAL YADAV
E- STAMP VENDOR
ACC ID-UP14255804
Ph No 9696665860
Main Gate Court ...

Certificate No.	:	IN-UP21051324968587X
Certificate Issued Date	:	02-May-2025 04:52 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14255804/ KANPUR SADAR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14255804394761964956 41X
Purchased by	:	SOCIETY KANPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SOCIETY KANPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SOCIETY KANPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

यह जनरल स्टाम्प पत्र श्री मैया जी विद्या विकास समिति

जिला कानपुर फाइल सं० I-5294

नि०सो० नि०प्रमा०प०के साथ संलग्न है

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

सत्य—प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर
28/05

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

नियम संशोधन साधारण सभा कार्यवाही

पूर्व सूचना के अनुसार आज दिनांक 27.04.2025 दिन रविवार को संस्था श्री नेता जी विद्या विकास समिति कानपुर, 117/एच–1, 209, कानपुर नगर 208008 की साधारण सभा की विशेष बैठक अध्यक्ष श्री रामजी त्रिपाठी की अध्यक्षता में बुलाई गयी। बैठक में कुल 11 सदस्यों में से 09 सदस्य उपस्थित रहे। कोरम पूर्ण रहा। कार्यवाही इस प्रकार है :–

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली कार्यवाही पुष्टि पर विचार	1. संस्था की पिछली कार्यवाही प्रबन्धक महोदय ने पढ़कर सुनाई जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2. नियमावली के संशोधन पर विचार	2. संस्था के प्रबन्धक श्री अतुल त्रिपाठी जी ने बैठक में बताया कि पंजीकृत नियमावली के अन्त में सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड के पैटर्न के विद्यालय की स्थापना हेतु प्रतिबन्ध बढ़ाया जाना आवश्यक है जिन्हें पढ़कर सुनाया।

प्रतिबन्ध :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

सत्य–प्रतिलिपि

Shikha Tripathi

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Shikha Tripathi

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और प्रबन्धक महोदय को अधिकृत किया गया कि नियम संशोधन कार्यवाही व संशोधित नियमावली पंजीकृत करायें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। अन्य कोई प्रस्ताव न आने के कारण अध्यक्ष जी ने बैठक समाप्ति की घोषणा की।

सत्य प्रतिलिपि

R.S. Singh Shikha Tripathi

सत्य–प्रतिलिपि

रजिस्ट्रार

एवं चिट्स

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

-::- संशोधित नियमावली -::-

1. संस्था का नाम : श्री नेता जी विद्या विकास समिति।
2. संस्था का पता : 117/एच–1/209, पाण्डु नगर, कानपुर नगर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृतिपत्र के अनुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

   वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो संस्था के नियमों का पालन करने के प्रति वचनबद्ध हो, भारतीय नागरिक हो वह संस्था का सदस्य प्रबन्धक की संस्तुति से बनाया जायेगा।

   (अ) आजीवन सदस्य : संस्था को एक बार में एक मुश्त रुपये पाँच हजार नकद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरुप प्रदान करने वालों को प्रबन्धक द्वारा आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

   (ब) सामान्य सदस्य : संस्था को प्रति वर्ष 101/– रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को प्रबन्धक द्वारा सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

   (स) विशिष्ट सदस्य : सरकार द्वारा सम्मानित उपाधि प्राप्त विद्वानों, सांसदों, विधायकों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा, मताधिकारी नहीं होंगे। सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे।

6. सदस्यता की सामाप्ति : मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, लगातार तीन बैठकों में विना किसी स्पष्ट कारण के अनुंपस्थित रहने पर, त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे–

   अ) साधारण सभा,

   ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

R.S. Sinh
Shikha Tripathi
Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

8. साधारण सभा :

अ. गठन :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठकों को वर्ष में एक व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

स. सूचना अवधि :–साधारण सभा की सामान्य बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को तीन दिन पूर्व सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

द. गणपूर्ति :– साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को दो घण्टे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :–

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जायेगा।

र. साधारण सभा के कर्तव्य :–

1. पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय व्यय/बजट पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में 3/5 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

अ. गठन : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत् से किया जायेगा, जिसमें एक–अध्यक्ष, एक–उपाध्यक्ष, एक–प्रबन्धक एक–उपप्रबन्धक, एक–कोषाध्यक्ष, एक–उपकोषाध्यक्ष तथा चार सदस्य इस प्रकार कुल ग्यारह व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रों के पदाधिकारी होंगे।

ब. बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में तीन व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

R.S. Singh
Shikha Tripathi
Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

स. सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों को 7 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर ही बुलाया जा सकता है।

द. गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों को एक घण्टे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्व ही रहेंगे।

य. रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति साधारण सभा की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए किया जायेगा।

र. कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

ल. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1. संस्था का प्रबन्धकार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
4. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियों व उपनियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पर्यावरण विभागों, ग्राम्य विकास अभिकरण, नगरीय विकास अभिकरण, सूडा/डूडा सेल, कपार्ट, नवार्ड, यूनीसेफ, सिप्सा, सिडवी, नौरार्ड, आवार्ड, महिला कल्याण निगम, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभागों, अनुभागों, वित्तीय संस्थानों, संस्थाओं एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता, ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, अमानतें, चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

सत्य–प्रतिलिपि

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

R.S. Singh Shikha Tripathi

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
4. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
6. प्रबन्ध समिति द्वाराअ नुमोदित त्यागपत्रों को स्वीकार करना।
7. उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयास करना।

प्रबन्धक :

1. सभी प्रकार की बैठकों को बुलाना व संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना व पढ़कर सुनाना।
3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. वार्षिक आय व्यय/बजट को साधारण सभा से पारित कराना।
5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. संस्था की ओर से समस्त बिलों एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।
10. संस्था द्वारा संचालित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन व उनका प्रबन्धकार्य करना।
11. अध्यापकों, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति, वेतन वितरण एवं पदच्युत करना।

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

सत्य–प्रतिलिपि

R.S. Singh
Shikha Tripathi
Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

12. आवश्यकतानुसार दस हजार तक व्यय करना अधिक धन के लिए प्रबन्धसमिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
13. समय समय पर प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
14. संस्था की अचल सम्पत्ति एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना।
15. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।
16. प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को वरिष्ठताक्रम के अनुसार सम्पादित व संचालित करना तथा सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना।

उपप्रबन्धक : प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को संपादित करना और सामान्य रूप से उसका सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष :
1. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीदें देना।
4. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
5. रुपये एक हजार तक अपने पास रखकर व्यय करना अधिक धन हो जाने पर उसे बैंक में जमा करना।

Shikha Tripathi
Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

उपकोषाध्यक्ष : कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को संपादित करना और सामान्य रूप से उसका सहयोग करना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा की वैठक में 3/5 के बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एवं 4(क) के अनुसार किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि
कार्यालय ... फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

R.S. Singh
Shikha Tripathi
Atul Tripathi
Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

12. संस्था का कोष :–

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा खाते का संचालन एवं धन आहरण प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :

संस्था के आय व्यय का समस्त लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत किसी योग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाली सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी योग्य अधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक
5. लेजर

16. संस्था का विघटन :–

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्य० सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी।

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

17. प्रतिबन्ध :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

दिनांक : 27.04.2025

सत्य–प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर

Manager
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur

Principal
A.P.V. Education Centre
Pandu Nagar, Kanpur